FOOD CRAFT INSTITUTE DEOGHAR

(An Autonomous Body under the Department of Tourism, Government of Jharkhand)
Plot No. 224, Kumaitha, Near, Sports Complex Kumaitha, Deoghar 814142, Jharkhand,
Website: www.fcideoghar.org, Email: principal.fcideoghar@gmail.com Phone No.: +91 9304178232

विज्ञप्ति संख्या: FCID/EST/2025-26/525 दिनांक: 09/09/2025

फ़ूड क्राफ्ट संस्थान, देवघर के लिए वाह्य स्त्रोत से वाहन उपलब्ध कराने हेतु इच्छुक आपूर्तिकर्ता के आवेदन पत्र आमंत्रण सूचना

राज्य सरकार के संकल्प संख्या वित्त -7- 31/ 2002 (खण्ड -1) 2316 दिनांक 04/10/2024 के क्रम में फ़ूड क्राफ्ट संस्थान देवघर के लिए बाह्य स्रोतों से वाहन के आपूर्ति किए जाने हेतु इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं का चयन कर वाहन का दर निर्धारण संस्थान द्वारा किया जाना है |

अतः ऐसे इच्छुक आपूर्तिकर्ता जो संस्थान द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत वाहन उपलब्ध कराने में सहमत है, से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है |आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 19.09.2025 की पूर्वाहन 11:00 बजे तक है | आवेदन पत्र का प्रारूप एवं शर्तें तथा अन्य विवरण कार्यालय के आधिकारिक वेबसाइट www.fcideoghar.org से डाउनलोड किया जा सकता है |

प्राचार्य
फ़ूड क्राफ्ट संस्थान देवघर

फूड क्राफ्ट संस्थान देवघर

FOOD CRAFT INSTITUTE DEOGHAR

फ़ूड क्राफ्ट संस्थान देवघर के लिए बाह्य स्रोतों से वाहन उपलब्ध कराने हेतु इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं के पंजीकरण के लिए आवेदन-पत्र

आवेदन-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि........................ अपराह्न......................... बजे तक द्वारा

आवेदनकर्ता द्वारा भरा जाएगा

1. आवेदक की विधिक स्थिति (व्यक्तिगत/ पार्टनरशिप) ....
2. आवेदक का नाम...
   (आवेदक/ पार्टनरशिप फर्म का आईडी यथा- लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी, निवास प्रमाण पत्र, GST रजिस्ट्रेशन नंबर आदि अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जाए)
3. पता ....
   ....
   ....
4. दूरभाष नम्बर/ मोबाइल नंबर ....
5. फ़ैक्स नम्बर / ईमेल ....
6. G.S.T रजिस्ट्रेशन नंबर...
7. आयकर पैन नंबर..
8. गत वर्ष में किए गए कार्य का विवरण (यदि कोई हो) (कृपया प्रतियाँ संलग्न की जाए) क्लाइंट्स का नाम एवं पता (संलग्न करें)..
9. आवेदक के स्वामित्वाधीन मोटर कैब/ मैक्सी कैब वाहनों की संख्या...
   (कृपया वाहन का मेक, मॉडल आदि का पूर्ण विवरण प्रारूप- 01 पर संलग्न किया जाए)
10. राज्य सरकार के साथ किये गए कार्यों का पूर्ण विवरण .... (यदि कोई हो) (वैकल्पिक)
11. प्रतिभूति की धनराशि रुपए-... (शब्दों में ....
    ....)
12. बैंक ड्राफ्ट संख्या... दिनांक.. ....बैंक का नाम ....
13. झारखण्ड राज्य के MSME प्रतिष्ठान पंजीयन संख्या...

फूड क्राफ्ट संस्थान देवघर

FOOD CRAFT INSTITUTE DEOGHAR

<u>घोषणा-पत्र</u>

मै शपथ घोषणा करता हूं/ करती हूं कि मेरे द्वारा फूड क्राफ्ट संस्थान, देवघर की विज्ञप्ति संख्या.............................. दिनांक.............................. के अंतर्गत "आवेदनकर्ताओं हेतु आवश्यक निर्देश" एवं "सामान्य नियम एवं शर्तों" में विहित समस्त नियम एवं शर्तो का अवलोकन किया गया है और उसे भली प्रकार से समझा है | मैं वित्त संस्थान द्वारा निर्धारित शर्तों पर अपनी वाहन दैनिक/ मासिक आधार पर देने के लिए सहमत हूं /

हस्ताक्षर एवं मुहर

आवेदनकर्ता का नाम...........................

आवेदनकर्ता का पता ....

फूड क्राफ्ट संस्थान देवघर

FOOD CRAFT INSTITUTE DEOGHAR

प्रारूप-1

(आवेदक के स्वामित्वाधीन मोटर कैब/ मैक्सी कैब वाहनों की संख्या)

क्र. सं.	वाहन संख्या	वाहन का मेक	मॉडल	प्रकार	पंजीयन की तिथि	सीट क्षमता	ईंधन का प्रकार	एसी/ नॉन एसी

फूड क्राफ्ट संस्थान देवघर

FOOD CRAFT INSTITUTE DEOGHAR

प्रारूप-3

(वित्तीय प्रस्ताव)

क्र. सं.	वाहन का मेक	मॉडल	प्रकार	मासिक दर किलोमीटर प्रतिमाह, इंधन एवं कर सहित	प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का दर प्रतिमाह
01.	MAHINDRA	BOLERO NEO	PETROL		
			DIESEL		
			HYBRID		
02.	MARUTI	SWIFT DEZIRE	PETROL		

फूड क्राफ्ट संस्थान देवघर

FOOD CRAFT INSTITUTE DEOGHAR

आवेदनकर्ता हेतु आवश्यक निर्देश

1. उद्देश्य एवं कारण

प्रस्तुत आवेदन पत्र आमंत्रित करने का मुख्य उद्देश्य संस्थान में वाहन संचालन के क्षेत्र में कार्यरत सभी परिवहन व्यवसाईयों को समान दर पर वाहन उपलब्ध कराने के लिए समान अवसर प्रदान करना है |अतः उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु संस्थान में बाह्य स्रोतों से वाहनों की आपूर्ति किए जाने के इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं के संस्थान में आवेदन / **प्रस्ताव** आमंत्रित किया जाता है |

2. आवेदन प्रपत्र एवं मूल्य

आवेदन प्रपत्र, सामान्य नियम एवं शर्तों व अन्य विवरण निविदा के साथ संलग्न है, जिसे वेबसाइट www.fcideoghar.org से डाउनलोड किया जा सकता है | आवेदन हेतु FOOD CRAFT INSTITUTE (JHARKHAND) SOCIETY के नाम से रू 5,000/- का अनुसूचित बैंक से बिना शर्त डिमांड ड्राफ्ट आवेदक द्वारा मूलरूप में संलग्न किया जाएगा | झारखण्ड राज्य के MSME सेवा प्रदाता को इससे छुट प्रदान की जाएगी |

(3) न्यून अर्हता :-

(क) पात्र आवेदक

(i) पात्र आवेदक से आशय ऐसे व्यक्ति/ फर्म/ कंपनी से हैं जो इस प्रपत्र में दी गई सभी शर्तों को पूर्ण करता है | आवेदक को अपनी पात्रता के संबंध में आवश्यक अभिलेख, जो आवेदन में उसके द्वारा दिए गए कथनों की पुष्टि करता है, संलग्न करना अनिवार्य है | भागीदारी फर्म/ कंपनी की दशा एवं प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी भी संलग्न करना अनिवार्य है |

(ii) आवेदन पत्र जमा करने के उपरांत किसी भी समय फर्म/ आवेदक की संरचना में परिवर्तन बिना प्राचार्य फ़ूड क्राफ्ट संस्थान की लिखित अनुमति के नहीं किया जायेगा |

(ख) कार्यप्रभारित प्रतिभूति (Security Deposit) / E.M.D. (Earnest Money Deposit)

आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ रुपये 10,000/- प्रति वाहन की दर से कार्यप्रभारित प्रतिभूति (Security Deposit) / EMD के रूप में जमा करायी जाएगी | इस हेतु अपेक्षित धनराशि का अनुसूचित बैंकों से बिना शर्त बैंक गारंटी या बैंक ड्राफ्ट, जो FOOD CRAFT INSTITUTE (JHARKHAND) SOCIETY के नाम से हो , आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जायेगा | उक्त धनराशि सेवा की सम्पूर्ण अवधि हेतु धरोहर के रूप में FOOD CRAFT INSTITUTE DEOGHAR के कार्यालय में जमा रहेगी तथा कार्य के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरांत बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी |

(ग) अन्य प्रमाण पत्र जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाए

(i) इस आशय का नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा कि आवेदक का नाम, शासन ,राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग कार्यालय अथवा निगम की काली सूची में अंकित नहीं है |

(ii) इस आशय का नोटरी द्वारा अभी प्रमाणित शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा कि आवेदक या उसके पार्टनर या कंपनी के विरुद्ध किसी प्रकार का पुलिस विजिलेंस जांच विचाराधीन नहीं है और ना ही उन्हें किसी सक्षम माननीय न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए कभी दंडित किया गया है |

(iii) आवेदक पार्टनरशिप फर्म/ कंपनी/ एजेंसी /जीएसटी /कमर्शियल टैक्स विभाग में पंजीकृत है अथवा नहीं का प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जाए |

(iv) आवेदन में अपेक्षित व्यक्ति वर्षों में किए गए कार्यों संबंधी अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति |

(v) इस आशय का घोषणा पत्र की आवेदक आवेदन पत्र में उल्लेखित संख्या में वाहन उपलब्ध कराने के लिए तैयार है |

(घ) वाहन का रंग

आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले वाहन का रंग सफेद होना अनिवार्य होगा |

(ङ) वैकल्पिक अथवा सशर्त आवेदन

आवेदक पार्टनरशिप फर्म कंपनी एजेंसी द्वारा मात्र एक ही आवेदन समर्पित किया जाएगा आवेदक द्वारा समर्पित वैकल्पिक अथवा आवेदन रद्द कर दी जाएगी इसके लिए आवेदक स्वयं उत्तरदाई होगा |

4. तकनीकी निविदा के लिए आवश्यक दस्तावेज

(i) पार्टनरशिप फर्म कंपनी एजेंसी के पास वेद जीएसटी पंजीकरण संख्या होना चाहिए तथा पार्टनरशिप फर्म कंपनी एजेंसी का पंजीकृत अथवा शाखा कार्यालय देवघर में स्थित होना चाहिए |

(ii) पार्टनरशिप फर्म कंपनी एजेंसी को ई. एस. आई. सी. एवं ई. पी. एफ. के तहत पंजीकृत होना चाहिए |

(iii) इच्छुक आवेदक के पास Bolero Neo एवं Swift Dezire श्रेणी के वाहनों में मेक एंड मॉडल कम से कम एक वाहन स्वयं के नाम से पंजीकृत होना आवश्यक है पार्टनरशिप फॉर्म कंपनी एजेंसी के पास न्यूनतम 1 से 2 की संख्या में समान प्रकार के वाहनों का पंजीकरण एजेंसी के नाम पर अथवा पार्टनरशिप फर्म के प्रोपराइटर के नाम पर होनी चाहिए |

(iv) आवेदक पार्टनरशिप फर्म कंपनी एजेंसी के पास प्रासंगिक वाहन सेवा में काम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए |

(v) पिछले तीन वित्तीय वर्ष यथा 2021-22, 2022-23, 2023 24 के दौरान न्यूनतम आवश्यक औसत वार्षिक कारोबार 12 लाख या इससे अधिक का होना चाहिए आवश्यक अभिलेख वांछित |

(vi) FOOD CRAFT INSTITUTE (JHARKHAND) SOCIETY के नाम पर अनुसूचित बैंक के बिना शर्त बैंक गारंटी या डिमांड ड्राफ्ट के रूप में ₹10,000/- की कार्यभारित प्रतिभूति राशि तकनीकी प्रस्ताव के साथ जमा करना अनिवार्य होगा | इच्छा की अभिव्यक्ति प्रक्रिया की समाप्ति के उपरांत और सफल आवेदक को बैंक गारंटी डिमांड ड्राफ्ट बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी |

(vii) आवेदक पार्टनरशिप फॉर्म कंपनी एजेंसी द्वारा विधिवत भरा हुआ संगठनात्मक प्रोफाइल |

(viii) वाहन व्यावसायिक के रूप में (पीला नंबर) निबंधित होना आवश्यक है |

5. वित्तीय प्रस्ताव के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रपत्र 3

(i) ऐसे आवेदक पार्टनरशिप फर्म कंपनी एजेंसी जो न्यूनतम दरों तथा निर्धारित शर्तों पर अपनी वाहनों की आपूर्ति करने पर सहमत होंगे उनकी सेवा प्राचार्य फूड क्राफ्ट संस्थान देवघर द्वारा ली जा सकती है | तकनीकी तौर पर सुयोग्य पाए जाने तथा समान न्यूनतम दर पर आपूर्ति हेतु लिखित सहमति व्यक्त करने की स्थिति में एक से अधिक आपूर्तिकर्ताओं को आपूर्ति हेतु सूचीबद्ध किया जा सकता है| आयोग के द्वारा कार्यदेश का विभाजन एक या एक से अधिक सफल सूचीबद्ध आवेदकों के बीच आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है | आवश्यकता एवं सेवा प्रदान करने की उत्कृष्टता के अनुसार कार्यदेश की कार्यविधि

का विस्तार अथवा निलंबन विचारणीय होगा | इच्छुक आवेदकों द्वारा सेवा निम्नलिखित दो प्रकार से दिए जाने हेतु आवेदन दिया जा सकता है |

दीर्घकालीन - मासिक आधार पर वहां किराया पर लिए जाने हेतु (प्रपत्र 3) |

(ii) आपूर्ति करता द्वारा प्रपत्र 3 में डर का प्रस्ताव समर्थित किया जाएगा प्रपत्र 3 में वाहनों को मासिक डर के आधार पर किलोमीटर प्रति माह के लिए प्रस्तावित दर पर उल्लेखित किया जाना है | ध्यातव्य हो कि अगर किसी माह में उल्लेखित किलोमीटर का पूर्ण उपयोग नहीं होता है तो वह अगले माह उपयोग किया जा सकेगा इस दूरी की गणना प्रत्येक वर्ष फरवरी में अथवा उपयोग के अंतिम महीने में की जा सकेगी |

6. आवेदनों का मूल्यांकन मूल्यांकन के मापदंड

(i) इच्छा की अभिव्यक्ति की प्रक्रिया डबल एनवेलप सिस्टम आधारित होगी जिसमें तकनीकी प्रस्ताव प्रपत्र 3 को छोड़कर सभी अभिप्रमाणित अभिलेख एवं हस्ताक्षरित्र प्रपत्र एवं वित्तीय प्रस्ताव केवल प्रपत्रवृति के लिए दो अलग-अलग आवेदनों का मूल्यांकन इस हेतु गठित समिति निविदा समिति के द्वारा किया जाएगा |

(ii) सर्वप्रथम तकनीकी प्रस्ताव के आवेदनों को इस हेतु गठित समिति निविदा समिति एवं इच्छुक आवेदकों अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में दिनांक 19.09.2025 समय 3:00 बजे अपराह्न में खोला जाएगा तकनीकी प्रस्ताव में सफल आवेदकों का वित्तीय प्रस्ताव खोला जाएगा |

(iii) आवेदनों के मूल्यांकन के दौरान सभी शर्तों को पूर्ण करने वाले एवं इस पर पत्र में दी गई शर्तो से सहमत होने वाले आवेदकों को सफल घोषित किया जाएगा |

(iv) आवेदन की स्वीकृति / अस्वीकृति के अनुशंसा संबंधी पूर्ण अधिकार समिति / निविदा समिति के पास सुरक्षित होगा | आवेदन स्वीकृत करने हेतु दरों, आपूर्ति की गुणवत्ता तथा फॉर्म के प्रोफाइल एवं पुरानी परफॉर्मेंस को ध्यान में रखकर आयोग के द्वारा क्रयादेश पर निर्णय लिया जाएगा |

(v) समिति द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव सूचीबद्धता एवं दरें इकरारनामा की तिथि से अधिकतम 2 वर्ष के लिए मान्य होगा |

(7) सामान्य नियम एवं शर्तें

(क) आवेदक का उत्तरदायित्व

(i) आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस प्रपत्र का भली - भांति अध्ययन कर लें और यह सुनिश्चित करने की वह आवेदन की सभी शर्तों/ आवश्यकताओं को पूर्ण करता है | किसी भी समय आवेदन की सभी शर्तों / आवश्यकताओं की पूर्ति की संपूर्ण जिम्मेदारी सफल आवेदक / आपूर्तिकर्ता की होगी | आवेदक द्वारा आवेदन की सभी शर्तों/ आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं किए जाने की स्थिति में प्रधानाचार्य फूड क्राफ्ट संस्थान देवघर नियमानुसार कार्रवाई के लिए सक्षम होगा |

(ii) आवेदन पत्र में दिए गए विवरण विभाग द्वारा सावधानी पूर्वक तैयार किए गए हैं और इस प्रपत्र में दी गई सूचना आवेदक को प्रस्ताव तैयार करने में सहायक होगी | परंतु आवेदक से या अपेक्षा की जाती है कि वह आवेदन करने से पूर्व उनका सत्यापन अपने स्तर से अवश्य कर लें | फूड क्राफ्ट संस्थान देवघर अथवा उसके प्रतिनिधि किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने की गारंटी नहीं देता है |

(ख) आवेदन पत्र तैयार किया जाना

(i) आवेदक द्वारा अपना प्रस्ताव इस आवेदन प्रपत्र में दिए गए प्रारूप के अनुसार ही तैयार करना है प्रधानाचार्य फूड क्राफ्ट संस्थान देवघर अथवा उनके द्वारा इस हेतु अधिकृत कोई अधिकारी ऐसे प्रस्ताव हो जो निर्धारित प्रारूप में नहीं है वह निरस्त कर सकते हैं

(ii) आवेदक द्वारा यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा सभी स्थानों पर जहां अपेक्षित है हस्ताक्षर कर दिए गए हैं और अहस्ताक्षरित / अपठनीय / ओवरराइटिंग वाले आवेदन एवं संलग्न प्रपत्रों तथा अभिलेखों को अयोग्य मानते हुए निरस्त किया जा सकेगा |

(iii) आवेदक द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा सभी अपेक्षित संलग्नक / प्रमाणित प्रतियाँ संलग्न कर दी गई है |

(iv) उपरोक्त तैयार आवेदनों को दो 02 मुहर बंद लिफाफे में रखा जाएगा और उसपर स्पष्ट रूप से निम्नवत विवरण अंकित होना चाहिए:-
"प्रधानाचार्य फूड क्राफ्ट संस्थान देवघर के लिए वह स्रोतों से वाहनों की आपूर्ति किए जाने के लिए तकनीकी प्रस्ताव हेतु आवेदन पत्र"

तथा

प्रधानाचार्य फूड क्राफ्ट संस्थान देवघर के लिए वह स्रोतों से वाहनों की आपूर्ति किए जाने के लिए वित्तीय प्रस्ताव हेतु आवेदन पत्र |

उपरोक्त के अतिरिक्त लिफाफे पर आवेदक का नाम पता एवं संपर्क दूरभाष नंबर भी स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए

(v) पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन निम्नलिखित पते पर प्रेषित किया जाएगा :-
फूड क्राफ्ट संस्थान देवघर, प्लॉट नंबर 224, कुमैठा स्टेडियम के समीप, पिन - 814142

(vi) आवेदन के साथ कार्यभारित प्रतिभूति/ इ.एम.डी. के रूप में अनुसूचित बैंक से बिना शर्त बैंक गारंटी या डिमांड ड्राफ्ट संलग्न नहीं होने की दशा में आवेदन प्रपत्र स्वीकृत नहीं किया जाएगा | इसमें किसी प्रकार की छूट संबंधी प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा |

(vii) सुनिश्चित किया जाए कि प्रपत्र 3 में अंकित किए जाने वाली सभी दरें ईंधन, सभी प्रकार के करो आदि सहित एक मुश्त होगी |

(ग) आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि

(i) पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन दिनांक 19.09.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे तक फूड क्राफ्ट संस्थान देवघर में हाथों-हाथ जमा करने / रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट से प्राप्त होना आवश्यक है | फैक्स अथवा ईमेल आदि के माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा |

(ii) डाक में आवेदन के गुम हो जाने अथवा विलंब से प्राप्त होने का उत्तरदायित्व प्रधानाचार्य कार्यालय फूड क्राफ्ट संस्थान देवघर का नहीं होगा और विलंब से प्राप्त आवेदनों को बिना खोले आवेदक को लौटा दिया जाएगा |

(iii) अधो हस्ताक्षरी द्वारा किसी भी समय आवेदन प्रक्रिया की तिथियां में परिवर्तन कर सकते हैं |

(घ) जमा कराए गए आवेदन में संशोधन अथवा वापस लिया जाना

(i) आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पूर्व किसी समय यदि कोई आवेदक जमा किए गए आवेदन में संशोधन करना चाहता है तो वह इस आशय का लिखित आवेदन कर संशोधन कर सकता है परंतु ऐसी स्थिति में उसे लिफाफे पर संशोधित आवेदन स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा |

(ii) परन्तु यहां की आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के उपरांत आवेदन में कोई परिवर्तन संशोधन ग्राह्य नहीं होगा |

(ङ) गोपनीयता

(i) आवेदन प्रक्रिया के दौरान आवेदनों में मूल्यांकन स्पष्टीकरण अथवा संस्तुतियों के संबंध में कोई जानकारी किसी भी व्यक्ति जो अधिकृत रूप से इस प्रक्रिया से संबंधित नहीं है को नहीं दी जाएगी |

(च) वाह्य स्रोत से वाहन रखने की अवधि

सफल एवं सूचीबद्ध निवदाताओं से निर्धारित न्यूनतम दरों एवं शर्तों के आधार पर सेवा प्राप्त करने की अवधि इकरारनामा की तिथि से अधिकतम 02 वर्ष के लिए होगी |

(i) किसी वाहन के संतोषजनक परिचालन नहीं रहने की स्थिति में प्रधानाचार्य फूड क्राफ्ट संस्थान देवघर को अधिकार सुरक्षित होगा कि संबंधित वाहन का मासिक या आंशिक भुगतान अवरुद्ध रखें, अथवा अनुमान्य कटौती कर भुगतान करें, अथवा सूचीबद्धता के बावजूद कार्यदेश निलंबित कर दें |

(ii) आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत विपत्र में यात्रा की अवधि उपयोग करने वाले अधिकारी/ कर्मचारी का नाम, मोबाइल नंबर, यात्रा की तिथि, यात्रा करने का स्थान, यात्रा प्रपत्र में गाड़ी का मेक/ मॉडल/ प्रकार तथा वाहन संख्या, विपत्र का महा एवं वर्ष, माह में आरंभ एवं समाप्ति पर तय दूरी किलोमीटर में स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए | बैंक अथवा किसी अन्य संस्थान से वित्त पोषित वाहन के मामले में प्रत्येक विपत्र के साथ इस आशय का प्रमाण-पत्र भी संलग्न करना होगा कि वाहन का किस्त का भुगतान, ईंधन, आदि सम्बन्धी सभी प्रकार के बकायों का भुगतान अद्यतन कर दिया गया है, किराया भुगतान से पूर्व आयोग अगर चाहे तो ऐसे आवश्यक बकाया भुगतान का पुष्टिकरण सहित वाहन का इंश्योरेंस, पी.यू.सी.आदि के नवीकृत रहने की जांच कर सकता है, जिसके कारण वाहन का परिचालन बाधित होने की संभावना हो |

(छ) सेवा अवधि के मध्य दरों में संशोधन

(i) उपरोक्त दरें 2 वर्ष की अवधि के लिए वैध है। सेवा की वैध अवधि में दरों में कोई संशोधन अथवा परिवर्तन किसी भी पक्ष द्वारा नहीं किया जाएगा।

(ज) भुगतान की रीति

(i) कार्य की पूर्ति पर संबंधित आपूर्तिकर्ता को भुगतान कार्यालय द्वारा मासिक आधार पर सामान्यतः 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। जिसमें से नियमानुसार कटौती की जाएगी।

(ii) वाहन के संतोषजनक परिचालन नहीं रहने की स्थिति में प्रधानाचार्य फूड क्राफ्ट संस्थान देवघर को अधिकार सुरक्षित होगा कि संबंधित वाहन का मासिक या आंशिक भुगतान अवरुद्ध रखें अथवा अनुमान्य कटौती कर भुगतान करें।

(झ) सेवा प्रदान करने में विलंब हेतु शास्ति/ दर अनुबंध का निरस्तीकरण

निम्नलिखित अवसरों पर कार्यभारित प्रतिभूति से (गारंटीड डिपॉजिट) ई.एम.डी. (Earnest Money Deposit) राशि को जब्त करते हुए दर अनुबंध को समाप्त कर दिया जाएगा:-

i. यदि आपूर्तिकर्ता समय पर वाहन उपलब्ध कराने में विफल रहता है |

ii. आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदान की जा रही सेवाएं संतोषजनक नहीं है |

(ञ) अन्य शर्तें

(i) आवेदक द्वारा कार्य के संबंध में विभिन्न अधिनियमों/ नियमों यथा- श्रम अधिनियम, राज्य के निजी क्षेत्रों में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम -2021, न्यूनतम पारिश्रमिक अधिनियम, पीएफ, ईएसआई, मोटरयान अधिनियम आदि में विहित व्यवस्थाओं/ नियमों/ औपचारिकताओं का अनुपालन (जहां लागू हो) किया जाएगा |

(ii) आपूर्तिकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी प्रकार की सूचना, कागजात, अभिलेख आदि किसी भी समय गलत पाया जाता है, तो आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध प्रधानाचार्य फूड क्राफ्ट संस्थान, देवघर द्वारा विधि सम्मत करवाई की जा सकेगी, जिसमें EMD की राशि को जप्त करना ब्लैक लिस्ट करना आदि भी शामिल है |

(iii) अनुबंध अवधि के दौरान यदि आपूर्तिकर्ता का नाम Acquisition, Amalgamation आदि के कारण बदल गया हो, तो आपूर्तिकर्ता को अपने नाम परिवर्तन के एक महीने के भीतर सही आवश्यक दस्तावेजों के साथ फूड क्राफ्ट संस्थान, देवघर को सूचित करना होगा | ऐसा नहीं करने पर अनुबंध रद्द कर दिया जायेगा एवं EMD की राशि भी जब्त किया जा सकेगा |

(iv) आपूर्ति किए गए वाहन फूड क्राफ्ट संस्थान, देवघर के निर्देशानुसार कार्य पर लगाए जाएँगे तथा किसी भी स्थिति में आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति वाहन का अन्य/ निजी उपयोग नहीं किया जाएगा |

(v) ईंधन, लुब्रिकेंट्स, वाहन की समय-समय पर सर्विसिंग, वाहन की आंतरिक साज सज्जा व उनके रख-रखाव पर होने वाले व्यय, टायर, बैटरी, हेडलाइट बीम ब्रेक, इंडिकेटर, वाइपर, शिक्षा, दरवाजे एवं अन्य समस्त एसेसरीज आदि के उत्कृष्ट स्थिति में बनाए रखने संबंधी व्यय सहित, रात्रि ठहराव, प्रवेश कर, पार्किंग चार्ज आदि का भुगतान, वाहन के समस्त अभिलेखों के नवीकरण, आदि सहित सभी प्रकार के व्यय आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जाएगा और माना जाएगा कि प्रपत्र 3 में अंकित/ प्रस्तावित दरें में इस तथ्य को ध्यान में रख कर प्रस्तावित की गई है | दर के प्रस्ताव में टोल टैक्स की गणना शामिल नहीं किया जाएगा, इसे वास्तविक आधार पर प्रतिपूर्ति हेतु विपत्र के साथ शामिल कर प्रस्तुत किया जाएगा |

अन्य राज्यों में वाहन के आवागमन की स्थिति में अन्य प्रदेशों के कर, आदि का भुगतान आपूर्तिकर्ता के द्वारा स्वयं किया जाएगा और उसकी प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय का साक्ष्य उपलब्ध कराने पर विपत्र के साथ किया जाएगा |

(vi) सफल आवेदन/ आपूर्तिकर्ता द्वारा करार के दौरान कोई भी वाहन, जो पूर्व में दुर्घटनाग्रस्त हुआ हो अथवा 3 वर्ष से अधिक पुरानी हो, वाहन की आपूर्ति नहीं की जाएगी |

(vii) वाहन को सुरक्षित रखने की सारी जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता की होगी |

(viii) किलोमीटर की कवरेज आवेदक के कार्यालय के निकटतम स्थान से शुरू होगी तथा उपयोगकर्ता के निवास स्थान पर समाप्त होगी |

(ix) वाहन में हमेशा पर्याप्त मात्रा में ईंधन सुलभ रहना चाहिए | यदि ईंधन समाप्त होने के कारण वाहन का परिचालन बाधित होता है, तो ऐसी स्थिति में प्रति घंटा 100/- रुपए की दर से भुगतान में कटौती की जाएगी | यदि बार-बार ईंधन समाप्त होने के कारण परिचालन बाधित होता है, तो ऐसी स्थिति में प्रथम पक्ष अविलंब इकरारनामा रद्द करते हुए EMD की राशि जब्त कर ली जाएगी |

(x) आपूर्ति की जाने वाली वाहन उचित गुणवत्ता (Excellent Condition) वाली होनी चाहिए | वाहन की आंतरिक साज-सज्जा यथा-सीट कवर, तौलिया (सफेद रंग), पढ़ने के लिए बिजली, फूटमैट, छाता आदि, उत्कृष्ट क्वालिटी का होना आवश्यक है | आपूर्तिकर्ता को प्रत्येक सप्ताह वाहन में लगे तौलिया को धुलाई कराना होगा |

(xi) आपूर्तिकर्ता के द्वारा वाहन के टायर, बैटरी, हेडलाइट, बीम, ब्रेक, इंडिकेटर, वाइपर, शीशा दरवाजे एवं अन्य समस्त एसेसरीज उचित एवं उत्कृष्ट गुणवत्ता के इस प्रकार सुनिश्चित करना होगा ताकि उपयोगकर्ता अधिकारी को वाहन के किसी त्रुटिपूर्ण रख-रखाव के कारण कर्तव्यों के निर्वहन में किसी प्रकार की परेशानी ना हो सके |

(xii) झारखंड सरकार के परिवहन कार्यालय में वाहन नियमानुसार पंजीकृत होनी चाहिए तथा करार की अवधि में वाहन के समस्त प्रपत्र यथा-पंजीयन, परमिट, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र आदि वैध होने चाहिए | पंजीयन शुल्क, फिटनेस शुल्क, मोटर वाहन कर, बीमा आदि पर सभी प्रकार के संबंधित व्यय आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किए जाएंगे |

(xiii) वाहन को बदलने से पूर्व आपूर्तिकर्ता को प्रधानाचार्य फूड क्राफ्ट संस्थान, देवघर से अनुमति प्राप्त करनी होगी तथा बिना अनुमति के वाहन को नहीं बदला जाएगा |

(xiv) प्रधानाचार्य फुट क्राफ्ट संस्थान, देवघर वाहन की किसी प्रकार की क्षति अथवा अप्रत्याशित घटना/ दुर्घटना के लिए उत्तरदायी नहीं होगा | मार्ग में दुर्घटना की स्थिति में किसी प्रकार के चिकित्सा बीमा, मुआवजा एवं अन्य विधिक आवश्यकताओं का अनुपालन संबंधित आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जाएगा |

(xv) आपूर्तिकर्ता का यह दायित्व होगा कि यात्रा के दौरान ईंधन, मरम्मत अथवा वाहन संबंधित अन्य व्यय किया जायेगा |

(xvi) मार्ग/ यात्रा के दौरान वाहन में किसी प्रकार की खराबी (Breakdown) होने अथवा वाहन से संबंधित अन्य किसी कारण से यात्रा बाधित होने पर आपूर्तिकर्ता को तत्काल अन्य वाहन की व्यवस्था अपने व्यय पर करनी होगी | यदि किसी समय आपूर्तिकर्ता वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करने में असफल रहता है तो प्रधानाचार्य फूड क्राफ्ट संस्थान, देवघर आपूर्तिकर्ता के व्यय पर वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करने के लिए अधिकृत होगा |

(xvii) आपूर्तिकर्ता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कार्यालय/ अधिकारी से संबंधित झारखंड सरकार के सुरक्षा मानकों का अनुपालन किया जाएगा |

(xviii) आपूर्तिकर्ता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा संबंधित अधिकारी अथवा उसके प्रतिनिधि से संपर्क रखा जाएगा तथा ड्यूटी के समयबद्ध संचालन हेतु उनके द्वारा दिए गए अनुदेशों का पालन किया जाएगा |

(xix) वाहन का उपयोग समान्यता कार्य दिवसों में किया जाएगा | परंतु आवश्यकता पड़ने पर वाहन का उपयोग किसी भी समय (अवकाश के तिथियां सहित) किया जा सकता है | वाहन का प्रयोग राज्य के भीतर एवं बाहर कहीं भी किया जा सकता है |

(xx) प्रस्ताव हेतु संयुक्त उद्यम मान्य नहीं होगा | साथ ही, आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी भी दशा में कार्य को पुर्नठेके पर नहीं दिया जाएगा |

(xxi) निर्धारित मासिक किराया, वाहन, ईंधन एवं सभी कर सहित एक मुश्त प्रति माह निर्धारित होगी | वाहन में लॉग बुक के अतिरिक्त एक शिकायत/ सुझाव पुस्तिका भी रखना आवश्यक होगा | उपयोगकर्ता अधिकारी के द्वारा इसमें अंकित टिप्पणी के आधार पर कार्यदेश का विस्तार अथवा, विपत्रों के भुगतान में कटौती अथवा अन्य दंडात्मक कार्रवाई संभव है |

(xxii) वाहन में नियमानुसार स्टेपनी, टूल किट, फर्स्ट एड बॉक्स, आग बुझाने का यंत्र (Fire extinguisher) भी आपूर्तिकर्ता द्वारा स्वयं के व्यय पर रखना आवश्यक है |

(xxiii) यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना की राशि आपूर्तिकर्ता के द्वारा देय होगा |

(xxiv) इससे उत्पन्न कोई भी कानूनी विवाद देवघर स्थित माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा |

(xxv) उपरोक्त किसी भी प्रावधान के बावजूद प्रधानाचार्य फूड क्राफ्ट संस्थान, देवघर के पास एक या एक से अधिक या सभी Bid को अस्वीकार करने तथा बिना कोई कारण बताएं किसी भी समय इच्छा की अभिव्यक्ति प्रक्रिया को रद्द करने का सर्वाधिकार सुरक्षित है

आवेदक का हस्ताक्षर एवं मुहर